भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम – 1988

➢ **भ्रष्टाचार :–**

- देश को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक तीनों मोर्चे पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, भारत में भ्रष्टाचार ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से देश में पहली बार देखा गया था, जिसे समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संसद ने धारा 1860 के IPC एक्ट में धारा'–161 से लेकर 165 (A) तक शामिल किया गया था, लेकिन यह उतना प्रभावशाली नहीं था, 1947 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम कानूनी संसोधन अधिनियम–1956 लाया किन्तु इसमें भी दण्ड का कोई उचित प्रावधान नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप राजीव गांधी सरकार के समय एक शक्तिशाली कानून भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 लाया गया, यह अधिनियम भ्रष्टाचार को सिर्फ आर्थिक आधार पर मानता है, आचरण के आधार पर नहीं।
- भारत में भ्रष्टाचार संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में पूरी तरह जड़ जमा चुका है, जिसे नियंत्रित करने के लिये अब तक बहुत से प्रयास किये गए मगर वह उतने प्रभावी सिद्ध नहीं हुए। इस दिशा में एक रोशनी के रूप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 49) को देखा जा सकता है। यह अधिनियम भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण उपबंध करता है। यह भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिये तथा उससे संबंधित विषयों के लिये अधिनियम है। इसे भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में ससंद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय एवं 31 धाराएँ शामिल हैं।

अध्याय :– 01
प्रारंभिक || धारा 01 व 02

➢ **धारा 01 :–**

- **संक्षिप्त नाम** – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
- **विस्तार** – संपूर्ण भारत
- **प्रारंभ** – 9 सितंबर 1988

➢ **धारा 02 :– परिभाषा (इसकी कोई परिभाषा नहीं है।)**

- **लोकसेवक** – लोक प्रयोजनों के निवर्हन में सेवारत हो स्थानीय निकाय में सेवारत हो किसी निगम में सेवारत हो न्यायालय से प्रधिकृत किसी संस्थ में सेवारत हो, बैक में कार्यरत्, शैक्षणिक संस्था में कार्यरत् हो, बैंक में कार्यरत, शैक्षणिक संस्था में कार्यरत्, सांस्कृतिक संस्था में कार्यरत्, किसी आयोग का अध्यक्ष या कर्मचारी जो सहकारी संस्था में कार्यरत् हो, चुनाव आयोग, आदिवासी निकाय में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी लोक सेवक है ऐसे गैर सरकारी संस्था जो सरकार द्वारा वित पोषित है।
- **लोककर्त्तव्य** – ऐसे कार्य जिसके निर्वहन में सरकार की रूचि हो या जनता व समस्त समुदाय का हित हो।
- **निर्वाचक** – संसद या किसी विधानमंडल स्थानीय प्राधीकरण या अन्य लोक प्राधीकरण सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए किसी विधि के अधीन किसी माध्यम में कराया गया निर्वाचन अधिकृत है।

अध्याय :– 02
विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति || धारा 03 व 06

➢ **धारा 03 :– प्रत्येक जिले में विशेष न्यायधीशों की नियुक्ति की जाएगी।**

- **नियुक्ति :–**
  - ✓ उस समय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम व निर्दिष्ट।
- **योग्यता :–**
  - ✓ सत्र न्यायाधीश रहा हो (क्रिमिनल कोर्ट का जज), सहायक सत्र न्यायाधीश रहा हो या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रहा हो।

- **सुनवायी** :–
  - ✓ सत्र न्यायालय में इसी को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसका जज बदल जायेगा।
- **जज** :–
  - ✓ विशेष अधिवक्ता (किसी भी सरकारी वकील को विशेष अधिवक्ता घोषित किया जायेगा)

➢ **धारा 05 :– विशेष न्यायाल/न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया**

- **विशेषता** :–
  - ✓ कोई लोकसेवक, सेवानिवृत्त, अवकाश प्राप्त है उनके उपर भीयह मामला चलेगा।
  - ✓ रंगेहाथ पकड़ने पर तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। उच्च अधिकारी से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
- **प्रक्रिया** :–
  - ✓ कोई भी शिकायत कर सकता है, न्यायाधीश खुद भी संज्ञान ले सकता है।
- **अधिकार** :–
  - ✓ विशेष न्यायाधीश ऐसे मामले सुनते है जिसमें दंड कारावास 1 साल से अधिक न हो।
- **शक्ति** :–
  - ✓ यह अधिनियम में सेवानिवृत्त या अवकाश प्राप्त लोकसेवकों पर भी लागु होता है।
  - ✓ रंगेहाथों पकड़े जाने पर आय से अधिक सम्पत्ति मिलने पर कार्यवाही करने के लिए उच्च अधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं।
  - ✓ दण्ड के साथ–साथ राज्य को या नागरिकों को हुई क्षतिपूर्ती को जुर्माने को वसुलने का आदेश की शक्ति

अध्याय :– 03
अपराध व दंड के प्रावधान ||धारा 07 व 16

➢ **धारा 07 :– लोकसेवकों द्वारा रिश्वत लेने को दण्डनीय नहीं माना गया है, वैध परिश्रमिक से भिन्न परितोषण प्राप्त करना (वेतन से अलग धन प्राप्त करना)**

- जो कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का भी कोई परितोषण इस बात के करने के लिये या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह यह अनुग्रह दिखई या दिखाने से प्रविरत रहे
- **दण्ड** :– 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना।
  - ✓ किसी लोकसेवक के यहां चाहे वह नामित हो या नहीं किसी व्यक्ति का कोई उपहार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे वह तब कारावास की अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

➢ **धारा 08 :– लोकसेवको पर विधि विरूद्ध साधनों द्वारा असर डालने रिश्वत या परितोषण लेने पर दण्डनीय होता है।**

- जो काई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई भी परितोषण किसी लोकसेवक को देता है व चाहे वह नामित हो या नहीं भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने के लए हेतु या ईनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिग्रहित या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिग्रहत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।
- **दण्ड** :– 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष का कारावास व जुर्माना
  - ✓ किसी लोकसेवक के यहां चाहे वह नामित हो या नहीं किसी व्यक्ति का कोई उपहार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे वह तब कारावास की अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

➢ **धारा 09 :– लोकसेवा पर व्यक्तित्व पर असर डालने पर दण्डनीय है।**

- किसी अन्य व्यक्ति या अपने लिए किसी प्रकार का कोई भी परितोषण किसी लोकसेवक को चाहे नामित हो या नहीं अपने वैयक्तिक असर के प्रयोग द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने के लिए या ईनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिग्रहित या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिग्रहित करने को सहमत होगा।
- **दण्ड** :– 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष का कारावास व जुर्माना
  - ✓ कोई उपहार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे वह तब कारावास की अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

➢ **धारा 10 :– धारा 08 व 09 में वर्णित किसी अपराध को उकसाना**

- जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, जिसके बारे में उन अपराधों में से कोई अपराध किया जाए, जो धारा 8 या धारा–9 में परिभाषित है, उस अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध ऐसे दुप्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो या नहीं।
- **दण्ड** :– 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक दण्ड/जुर्माना
  - ✓ वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु पाँच वर्ष तक को हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

➢ **धारा 11 :– लोकसेवक जो ऐसे सेवक द्वारा की गई प्रक्रिया कारोबार से सम्प्रवत व्यक्ति से प्रतिफल मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है या बिना पैसा चुकाये कोई भी मूल्यवान चीज लेना भी अपराध माना जायेगा।**

- किसी ऐसे व्यक्ति से जो यह जानते हुए कि वह इस प्रकार सम्प्रित्त व्यक्ति से हितबद्ध है या नातेदारी रखता है किसी मूल्यवान चीजों को किसी प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसे वह जानता है कि अपर्याप्त है।
- **दण्ड** :– 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक कारावास व जुर्माना से भी दण्डित किया जाऐगा।

➢ **धारा 12 :– धारा 7 व धारा 11 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड।**

- धारा 12 जो कुछ धारा 7 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरणा करेगा चाहे वह अपराध इस दष्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप किया गया हो या नहीं व कारावास से किया गया हो
- भ्रष्टाचार के साथ रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों अपराधी होगा, यह धारा 2015 में जोड़ा गया है।
- रिश्वत देने वाले को भी अपराधी माना गया है।
- **दण्ड** :– 3 वर्ष से 7 वर्ष व जुर्माने से भी दण्डित किया जायगा।

➢ **धारा 13 :– लोकसेवक द्वारा अपराधिक अवचार को दण्डित किया जाना यदि कोई लोकसवेक भ्रष्टाचार जैसा अपराध अभ्यास करता है। (धारा 07, 08, 09, 10, 11 व 12 में वर्णित अपराध को)**

- **दण्ड** :– 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष का कारावास व जुर्माना दण्डित किया जाएगा।
- कालाधन (जिसका ब्यौरा न हो) मिलने पर भी 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक सजा।

अध्याय :– 04
भ्रष्टाचार अपराध संबंधी अन्वेषण || धारा 07 व 16

➢ **धारा 17 :– अपराधी लोसेवक के मामले के अन्वेषण के लए अधिकारियों की नियुक्ति –**

- दिल्ली के मामले में पुलिस महानिरिक्षक, मद्रास, कोलकाता, मुंबई के मामले सहायक पुलिस आयुक्त एवं अन्य क्षेत्रों में उप पुलिस अधिक्षक या समतुल्य रैंक या पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दण्डिनीय किसी अपराध का अन्वेषण यथास्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसके लिए कोई गिरफ्तारी वारेंट के बिना नहीं करेगा।
- डी.एस.पी. रैंक का कोई अधिकारी जांच कर सकता है। अन्वेषण अधिकारी बिना विशेष न्यायाधीश के अनुमति के पूछताछ और जांच नहीं कर सकता।

➢ **धारा 18 :– यदि लोकसेवक केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है, तो उसके जांच के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति लेना पड़ता है।**

- **नोट :–**
  - ✓ यह अधिनियम थलसेना, जलसेना, वायुसेना व तट रक्षक जैसे संस्थाओं पर लागू नहीं होता
  - ✓ अपील का भी प्रावधान किया गया है जिसमें विशेष न्यायालय/सत्र न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है।

➢ **भ्रष्टाचार संसोधन अधिनियम 2018 :–,**

- 2013 में युपीए सरकार के द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था भ्रष्टाचार से संबंधित इस अधिनियम को ओर कड़ा करने के लिए यह बिल लाया गया था, इस बिल को चयन समिति को भेज दिया गया।
- 2015 पुनः बीजेपी सरकार द्वारा राज्यसभा में ही पुस्तुत किया गया और एक नया चयन समिति बना दिया गया 2016 में चयन समिति की रिपोर्ट आयी, 2017 में चयन समिति के रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत किया गया और संसद ने जुलाई 2018 में यह बिल पारित किया।
- संसद ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 2018 पारित किया है जो रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों को दण्डित करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम लोकसेवकों के रिश्वत देने या लेने का दोषी पाये जाने पर जुर्माने के अलावा 3 से 7 साल तक के जेल की सजा का प्रावधान करता है।

➢ **संसोधित बिल के मुख्य प्रावधान :–**

- **रिश्वत खोरो का संरक्षण नियम :–**
  - ✓ पूर्व लोकसेवकों पर मुकदमा दायर किया जा सकता है।
  - ✓ पूर्व सेवको पर मुकदमा दायर करने से पहले किसी की अनुमति आवश्यक नहीं।
  - ✓ रिश्वत देने वाले को भी 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया।
  - ✓ लोकपाल व लोकायुक्त को साक्ष्य प्राधिकारी नियुक्त किया गया।

- **कानून के प्रावधानों की कठोरता :–**
  - ✓ रिश्वत देने वाले अपराध करने के पश्चात् खुले में धुमता था, लेकिन इस संसोधन के पश्चात् उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया
  - ✓ यदि किसी लोकसेवक अपराध करता है, तो उसे तुरंत निलंबित किया जाएगा।

- **अपराधिक कदाचार को फिर से परिभाषित किया गया :–**
  - ✓ सम्पत्ति की हेरा–फेरी अनुपात होना सम्पति को इस दायरे में लाया गया, व्यवसायिक संगठनों को शामिल किया गया यदि व्यवसायिक संगठन लोकसेवक को अनुचित लाभ देने की कोशिश करता है, तो उसे भी दोषी ठहराया गया है।
  - ✓ यदि रिश्वत देने का अपराध व्यवसायिक संगठान द्वारा किया जाता है तो उस संगठन के मालिक, संचालक, प्रबंधक को दण्डित किया जाएगा।

- **त्वरित मुकदमें :–**
  - ✓ ममले दर्ज होने के 2 साल के दंदर मामले का निपटारा कर दिया जायेगा।
  - ✓ रंगेहाथ पकड़े जाने पर कार्यवाही करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।